

एफ.सं. 12/1/2019-जेसीए-2  
भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली  
दिनांक: 20 दिसम्बर, 2019


**कार्यालय ज्ञापन**

विषय :- वर्ष 2020 के बंद अवकाश - दशहरा की तारीख के संबंध में।

इस विभाग के दिनांक 18.06.2019 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन, जिसके तहत वर्ष 2020 के अवकाशों की सूची परिचालित की गई थी, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न राज्यों में अवस्थित कुछ केंद्र सरकारी कर्मचारी समन्वयन समितियों ने अपने राज्यों में दशहरा (विजयदशमी) के अवकाश को 25.10.2020 (रविवार) के स्थान पर 26.10.2020 (सोमवार) को परिवर्तित करने के लिए अभ्यावेदन भेजे हैं।

2. एतद्वारा यह सूचित किया जाता है कि विभिन्न राज्यों में अवस्थित सीजीईडब्ल्यूसीसी का केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए दशहरा को 26.10.2020 (सोमवार) को बंद अवकाश के रूप में घोषित करने का निर्णय, भारत सरकार की अवकाश संबंधी नीति के अनुरूप नहीं है। तथापि, जैसा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 18.06.2019 के का.ज्ञा. सं. 12/1/2019-जेसीए-2 के पैरा 3.1 में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "दर्शाए गए त्यौहारों और तारीखों के संबंध में तारीखों में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं है," केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा दशहरा (विजयदशमी) के लिए 26.10.2020 (सोमवार) को प्रतिबंधित अवकाश मनाया जा सकता है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

  
(जुगलाल सिंह)  
उप सचिव, भारत सरकार  
टेलीफोन : 2309 2338

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता अयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/प्रधान मंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/राज्यों के उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण प्रधान पीठ/भारतीय चुनाव आयोग/अल्पसंख्यक आयोग/राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग/केंद्रीय सूचना आयोग/राष्ट्रीय महिला आयोग/ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13 सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली
5. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सभी स्टॉफ पक्ष सदस्य।
6. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सभी स्टॉफ पक्ष सदस्य, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय।
7. अध्यक्ष/सचिव, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वयन समिति (कल्याण अनुभाग की अद्यतन सूची के अनुसार)।
8. मंत्रिमण्डलीय सचिव के निजी सचिव।
9. उप सचिव (समन्वय), दिल्ली सरकार सचिवालय, आई. जी. स्टेडियम, आईटीओ, नई दिल्ली।
10. प्रबंधक (स्टोर), भारत सरकार, फॉर्मस स्टोर, 166 लेनिन सराय, कोलकाता।
11. सभी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।